संख्या: 211/2019/744 /35-4-2019

प्रेषक,

ऋषिकेश दूबे,
सयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

आर्थिक बोध एवं संख्या निदेशक,
उ0प्र0, लखनऊ।

नियोजन अनुभाग-4 **लखनउ: दिनांक 30 मार्च, 2019**

विषय- **वित्तीय वर्ष 2018-19 के केन्द्रीय योजना सपोर्ट फार स्टेटिस्टिकल स्ट्रेन्थनिंग (एस0एस0एस0) के क्रियान्वयन हेतु अनुपूरक के माध्यम से प्राविधानित धनराशि की वित्तीय स्वीकृति।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या: 1116/ले0-69/2009, दिनांक 30.11.2018 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करे, जिसके द्वारा केन्द्रीय योजना सपोर्ट फार स्टेटिस्टिकल स्ट्रेन्थनिंग (एस0एस0एस0) के क्रियान्वयन हेतु अनुपूरक के माध्यम से प्राविधानित धनराशि रू0 7,57000/- (रू0 सात लाख सत्तावन हजार मात्र) की वित्तीय स्वीक़ृति निर्गत किए जाने का अनुरोध किया गया है। शासनादेश संख्या- 30/1092/35-4-2018 दिनांक 01 अक्टूबर, 2018 द्वारा 2,0000000/- (रूपये दो करोड़ मात्र) की वित्तीय स्वीकृति वर्तमान वित्तीय वर्ष 2018-19 के लिए पूर्व में निर्गत की जा चुकी है।

2- इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उक्त योजना के अन्तर्गत अनुपूरक के माध्यम से प्राविधानित धनराशि रू0 7,57000/- (रू0 सात लाख सत्तावन हजार मात्र) की वित्तीय स्वीकृति निम्नलिखित शर्तो के अधीन श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है :-

1. यह स्वीकृति वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-2 के शासनादेश संख्या-16/2018/बी-2-979/दस-2018-244/2018, दिनांक 01 सितम्बर, 2018 में उल्लिखित शर्तो एवं प्राविधानों के अन्तर्गत प्रदान की जा रही है, जिसका कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
2. उक्त स्वीकृत धनराशि का व्यय निर्धारित मदों के समक्ष अंकित धनराशि तक ही सीमित रखा जाय। यह स्पष्ट किया जाता है कि धनराशि का प्रदेशन (एलाटमेन्ट) अन्य किसी प्रकार के व्यय का प्राधिकार नहीं देता है। अत: व्यय करने के पूर्व जिन मामलों में बजट मैनुअल व वित्तीय हस्तपुस्तिका तथा अन्य स्थायी आदेशों के अन्तर्गत शासन अथवा अन्य सक्षम अधिकारी की स्वीकृति की आवश्यकता हो, उनमें व्यय करने के पूर्व प्रत्येक दशा में शासन/सक्षम प्राधिकारी की पूर्व स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जायेगी।
3. आहरण एवं वितरण अधिकारी द्वारा स्वीकृत धनराशि का आहरण कोषागार से तत्काल आवश्यकता होने पर ही किया जायेगा।
4. शासकीय व्यय में मितव्ययिता नितान्त आवश्यक है, अत: व्यय करते समय मितव्ययिता के संबंध में समय-समय पर जारी शासनादेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
5. व्यय करने के पूर्व भारत सरकार, सांख्यिकीय एवं कार्यान्वयन मंत्रालय, नई दिल्ली के दिशा-निर्देशों/शर्तो/एम0ओ0यू0 के प्राविधानों/शर्तो का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा तथा प्रश्नगत योजना पर भारत सरकार द्वारा विभिन्न मदों में निर्धारित वित्तीय सीमा तक ही धनराशि का व्यय सुनिश्चित किया जायेगा।
6. यह वित्तीय स्वीकृति इस शर्त के साथ प्रदान की जा रही है कि "उपलब्ध करायी जा रही धनराशि का उपयोग इसी वित्तीय वर्ष में किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।"

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

7. स्वीकृत धनराशि का नियमानुसार व्यय किये जाने के उपरान्त उपयोगिता प्रमाण-पत्र भारत सरकार को भेजा जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

3- इस संबंध में होनेवाला व्यय वित्तीय वर्ष् 2018-19 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या-40 के लेखाशीर्षक 3454-जनगणना सर्वेक्षण तथा सांख्यिकी-02-सर्वेक्षण तथा सांख्यिकी-001-निदेशन तथा प्रशासन-04- स्टेट स्ट्रेटेजिक स्टेटिस्टिकल प्लान के अन्तर्गत मद 42- अन्य व्यय के नामे डाला जायेगा।

भवदीय,

(ऋषिकेश दूबे)
संयुक्त सचिव।

संख्या:211/2019/744 (1) /35-4-2019-तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम व द्वितीय, उ0प्र0 इलाहाबाद।
2. महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम व द्वितीय, उ0प्र0 इलाहाबाद।
3. वरिष्ठ आडिट आफीसर (आडीटर प्लानिंग) कार्यालय महालेखाकार लेखा परीक्षा, सत्य निष्ठा भवन, 15 थार्नहिल रोड, इलाहाबाद।
4. संयुक्त निदेशक, भारत सरकार, सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय, 9वां तल जीवन प्रकाश बिल्डिंग, 25 के0जी0 मार्ग, नई दिल्ली-110001
5. मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
6. वित्त (लेखा) अनुभाग-1
7. वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/वित्त केन्द्रीय सहायता अनुभाग।
8. वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-5
9. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(ऋषिकेश दूबे)
संयुक्त सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।